



**छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, पर्यावास भवन,
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नया रायपुर**

!! परिपत्र !!

क्रमांक.....०३.....
दिनांक २९/०८/१६

विषय:- निक्षेप कार्य की योजना के क्रियान्वयन बाबत।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त निक्षेप कार्य का संपादन किया जाता है। अतः मण्डल कार्यों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में विभिन्न विभागों से प्राप्त निक्षेप कार्य मुख्यालय के बिना अनुमति के संभाग स्तर पर सहमति नहीं देंगे, ना ही कोई निक्षेप कार्य अपने स्तर पर लेंगे।

सभी संभागीय कार्यपालन अभियंता उक्त आदेश का परिपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
नया रायपुर

रायपुर, दिनांक २९/०८/२०१६

पृ. क्रमांक २६५१ /अ.आ/तक.शाखा/मुख्या./१६

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नया रायपुर।
2. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नया रायपुर।
3. मंडल सचिवालय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नया रायपुर।
4. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय/दृत्त-रायपुर/दुर्ग/नया रायपुर/बिलासपुर।
5. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नया रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि मुख्यालय की सहमति के बिना निक्षेप कार्य हेतु राशि ग्रहण नहीं किया जावे।
6. प्रशासकीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नया रायपुर।
7. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नया रायपुर।
8. लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, नया रायपुर।
9. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संभाग क्र.-.....
10. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल
नया रायपुर

२९/८